



Neutral Citation Number- 2026:AHC:34612-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या-2218/2026

श्रीमती रीता राय

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता/याचिककर्तागण के अधिवक्ता : महेश कुमार, विदेश्वरी प्रसाद

प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : जी.ए., कार्तिकेय शुक्ला

न्याय कक्ष संख्या-45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आज न्यायालय में एक पूरक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसे अभिलेख पर ले लिया गया है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए., प्रत्यर्थी संख्या-4 के विद्वान अधिवक्ता श्री कार्तिकेय शुक्ला को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
3. यह तात्कालिक रिट याचिका, याचिकाकर्ता द्वारा इस प्रार्थना के साथ दायर की गई है कि दिनांक 22.01.2025 की एफ.आई.आर. को रद्द कर दिया जाए, जिसे वाद अपराध संख्या - 20/2025 (आई.पी.सी. की धारा-420, 406, 506, 120-बी, 386, 452 के तहत दर्ज किया गया

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



है; यह मामला पुलिस थाना किदवई नगर, जिला दक्षिण (कमिश्नरेट कानपुर नगर) से संबंधित है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अपराध, जिसकी शिकायत की गई है, का खुलासा नहीं होता है और इस प्रकार, आरोपित प्रथम सूचना रिपोर्ट रद्द करने योग्य है।

5. इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. ने उपरोक्त प्रार्थना का जोरदार विरोध किया और यह निवेदन किया कि प्रस्तुत मामले में, याचिकाकर्ता जाँच में सहयोग नहीं कर रही है और इसी कारण, उस पर 50,000/- रुपये का इनाम घोषित है।

6. राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. ने आगे यह निवेदन किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है; अतः, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मामलों में निर्धारित विधि के आलोक में, **तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्लाह जेलानी (2017) 2 एस.सी.सी. 779** में दर्ज की गयी, **नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (2021) एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 315** में दर्ज की गयी ; और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय, **आपराधिक अपील संख्या 843/2024 डायरेक्टरेट एनफोर्समेंट बनाम नीरज त्यागी और अन्य** में आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता:

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विरोधी दलीलों पर विचार करने के बाद, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रस्तुत मामले में, याचिकाकर्ता जांच में सहयोग नहीं कर रही है और इस कारण उसके सिर पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित है; साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. द्वारा उद्धृत प्रासंगिक कानून, और इस तथ्य को देखते हुए कि आक्षेपित एफ.आई.आर. याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है हम इस मत पर पहुंचे हैं कि आक्षेपित एफ.आई.आर. को रद्द नहीं किया जा सकता। अतः, आक्षेपित एफ.आई.आर. को रद्द करने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

8. तथापि, यदि याचिकाकर्ता उचित न्यायालय के समक्ष अग्रिम/नियमित जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत करती है, तो उसके जमानत आवेदन पर विचार किया जाएगा और विधि के अनुसार, यथाशीघ्र उसका निपटारा किया जाएगा।

9. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा किया जाता है।

17 फरवरी, 2026

नादिम

(माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”